Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding alleged telephone tapping by Rajasthan Government.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । राजस्थान में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपनी सरकार को बचाने के लिए वहां की सरकार दो धड़े में बंट जाती है । यह पहला उदाहरण है कि मुख्ममंत्री के ओएसडी ने विधायकों से खरीद-फरोख्त से संबंधित एक वीडियो जारी किया । जहां तक मेरे ध्यान में है कि होम सेक्रेट्री या चीफ सेक्रेट्री के आदेश के बिना कोई भी सरकार अपने जन-प्रतिनिधियों या जनता के फोन को टेप नहीं कर सकती है ।

मुझे यह ध्यान में आता है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा-5 में चीफ सेक्रेट्री और होम सेक्रेट्री की इजाजत के बिना किसी का फोन टेप नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान में अपनी गिरती हुई सरकार को बचाने के लिए वहां के विधायकों के फोन टेप किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों के फोन टेप किए जा रहे हैं, विपक्ष के लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं । जबकि कोई आपातकाल स्थिति हो जाए, कोई आतंक की स्थिति आ जाए, कोई राज्य या देश को खतरा हो, उस समय फोन टेप की स्थिति आती है ।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है, वहां …* किस प्रकार से रक्षक, …* बने हुए हैं, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि अगर मेरी सरकार ने किसी का फोन टेप कराया होगा, तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा । स्वयं मुख्यमंत्री का वीडियो है । उन्होंने टीवी में बाइट दी है ।

मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार तुरंत ही इसकी सीबीआई जांच करे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां विराजे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार भी ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर, जहां राजस्थान में लोकतंत्र की …* हो रही है, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप राजस्थान की जनता को आश्वस्त करें ।

माननीय सभापति: मंत्री जी, आज कुछ बोलेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): आपकी जो भावना है, मैं इसे संबंधित मंत्रालय को पहुंचा दूंगा और इसमें जो कुछ भी तथ्य है, वह बाहर निकाल कर, एक लॉजिकल एंड लेने की कोशिश करेंगे ।